रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 41] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 21, 1974/फाल्गुन 2, 1895
No. 41] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 21, 1974/MAGHA 2, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 21st February 1974

SUBJECT.—*Export of Silver and Silver manufactures.*

No. 8-ITC (PN)/74.—Reference Export Trade Control Order, No. E (C)O, 1968/AM(119) dated 19-2-1974.

2. In supersession of all previous instructions, it has been decided that export of sub items(a) to (c) of item No. 12 of Part 'B' of Schedule I to the Exports (Control), Order, 1968 shall be regulated as under:—

(*a*) Silver Bullion, Silver sheets and plates which have not undergone any process of manufacture subsequent to rolling.	(*i*) Licensed freely; but no export will be allowed on consignment basis.
(*b*) Silver salts, silver chemicals and compounds with more than 50 per cent silver contents.	(*ii*) Silver Zari goods are not controlled for purpose of export.
(*c*) Manufactures and products wholly or mainly of silver with more than 50 per cent silver contents.	

S. G. BOSE MULLICK,
Chief Controller of Imports and Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 1974

विषय.—रजत तथा रजत विनिर्माणों का निर्यात ।

संख्या : 8-ई डी सी (पी एन)/74.—निर्यात व्यापार नियंत्रण आदेश संख्या: ई (सी) ओ, 1968/ए एम (119), दिनांक 19-2-74 के संदर्भ में ।

2. पूर्व के सभी अनुदेशों का अधिक्रमण कर, यह निश्चय किया गया है कि निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 के लिए अनुसूची 1 के भाग "बी" की मद संख्या 12 की उप-मदों (ए) से (सी) तक के निर्यात को निम्न प्रकार से नियमित किया जाएगा :—

(ए) रजत, बुलियन, रजत शीटस तथा रजत प्लैटस जिन पर रोलिंग से पूर्व किसी किस्म की विनिर्माण प्रक्रिया नहीं की गई है ।	(1) स्वतंत्रता पूर्वक लाइसेंस दिया जाएगा; परन्तु प्रेषण के आधार पर निर्यात की अनुमति नहीं दी जाएगी ।
(बी) 50 प्रतिशत वाली रजत की मात्रा से अधिक वाले रजत लवण, रजत रसायन तथा मिश्रण ।	
(सी) 50 प्रतिशत वाली रजत की मात्रा से अधिक वाले पूर्णतया अथवा मुख्यतया रजत के विनिर्माण तथा उत्पाद ।	(2) निर्यात के विचार से रजत जरी माल नियंत्रित नहीं हैं ।

एस० जी० बोस मल्लिक,
मुख्य नियंत्रक, आयत-निर्यात ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974